रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122024-259336
CG-DL-E-11122024-259336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4934] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 2024/अग्रहायण 19, 1946
No. 4934] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 2024/AGRAHAYANA 19, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5330(अ).— केंद्रीय सरकार, चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 के नियम 19 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2237 (अ), तारीख 1 जून, 2018 में संशोधन करने के लिए और निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना की, सारणी में,

(i) क्रम संख्यांक (2) में, स्तंभ (3) में "कंडोम"शब्द के पश्चात्, निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"सर्जिकल दस्ताने और चिकित्सा परीक्षण दस्ताने";

(ii) क्रम संख्यांक(3) में, स्तंभ(3) में "रोगाणुनाशी" शब्द के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"सर्जिकल दस्ताने और चिकित्सा परीक्षण दस्ताने";

(iii) क्रम संख्यांक(5) में, स्तंभ(3) में "और फलोप रिंग्स" शब्द के पश्चात्, निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"सर्जिकल दस्ताने, चिकित्सा परीक्षण दस्ताने, रुई की पट्टी, रुधिर थैलियों और डिस्पोजेबल सिरिंजों में प्रयुक्त एंटीकोगुलेटं सोल्यूशंस"।

[फा. सं. एक्स. 11035/29/2024-डीआरएस]

राजीव वधावन, सलाहकार (लागत)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का. आ.संख्यांक 2237 (अ), तारीख 1 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1928 (अ), तारीख 25 अप्रैल, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2024

S.O. 5330(E).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 19 of the Medical Devices Rules, 2017, the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number S.O. 2237(E), dated the 1st June, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the table,

(i) in serial number (2), in column (3), after the word, "Condoms", the following shall be inserted, namely:-

", Surgical Gloves and Medical examination Gloves";

(ii) in serial number (3), in column (3) after the word, "Disinfectant", the following word shall be inserted, namely:-

", Surgical Gloves and Medical examination Gloves";

(iii) in serial number (5), in column (3) after the word, "and Falope Rings", the following shall be inserted, namely:-

", Surgical Gloves, Medical examination Gloves, Cotton Bandages, Anticoagulant Solutions used in blood bags and Disposable syringes".

[F.No. X. 11035/29/2024-DRS]

RAJIV WADHAWAN, Advisor (Cost).

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2237(E), dated the 1st June, 2018 and last amended *vide* notification number S.O. 1928(E), dated the 25th April, 2023.